कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0

संख्याःएमई–3 / पीजी–2019 / 801 लखनऊःदिनांकः 06 अप्रैल 2019

यू0पी0नीट पी0जी0–2019 के अन्तर्गत आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया के संबंध मे सामान्य दिशा–निर्देश

1. पी0जी0–2019 के अन्तर्गत आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 7 अप्रैल 2019 से 12 अप्रैल 2019 तक पूर्ण की जायेगी।

2. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया संबंधित मेडिकल कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय मे पूर्ण की जायेगी।

3. निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कालेजों मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा नामित नामित नोडल सेन्टर पर पूर्ण की जायेगी। आवंटन–पत्र (Allotment Letter) मे नोडल सेन्टर के नाम का उल्लेख है।

4. निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कालेजो मे आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** (Director General, Medical Education & Training, U.P.{Payable at Lucknow}), जो लखनऊ मे देय हो, के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा किया जायेगा। शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक शुल्क संबंधी शासनादेश तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फीस स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5. आवंटित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन मूलरूप मे ही किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी आल इण्डिया के माध्यम से पूर्व से प्रवेशित है तो उस स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी शुल्क की रसीद के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी को दिनांक 20.4.2019 तक अखिल भारतीय कोटा से आवंटित सीट से त्याग–पत्र देते हुए मूल अभिलेख संबंधित कालेज मे जमा करना अनिवार्य होगा। दिनांक 20.4.2019 तक मूल अभिलेख न जमा करने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा यू0पी0नीट पी0जी0–2019 की प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर लिया गया प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

6. पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अभ्यर्थी की प्रवेश प्रकिया महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति के आधार पर की जायेगी तथा दिनांक 22.4.2019 तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त रिलीविंग सार्टीफिकेट भी जमा करना अनिवार्य होगा।

महानिदेशक
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण